TRANSPORT DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI 5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110 054.

transport.delhigovt.nic.in

DC/OPS/396/Tpt/De-Reg/Part-III/ 492/

Dated:October 30 2018

PUBLIC NOTICE

The Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 26.11.2014 and order dated 7.4.2015 in the matter of Vardhaman Kaushik vs UOI & Ors passed directions that the Petrol and Diesel vehicles, which are more than 15 years and 10 years old respectively shall not be permitted to ply on the roads in NCR and wherever such vehicles of this age are noticed, the concerned authorities shall take appropriate steps including seizure of the vehicles in accordance with the provisions of Motor Vehicle Act.

The Hon'ble National green Tribunal further ordered that 15 years old vehicles are not permitted to be parked in any public area.

The matter came up for consideration before the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition(s) (C) No.13029/1985 in the case titled MC Mehta vs UOI & Ors and Hon'ble Supreme Court vide its order dated 29.10.2018 has passed directions that all the <u>Diesel vehicles which are more than 10 years old and Petrol vehicles more than 15 years old shall not ply in NCR in terms of the order of the National Green Tribunal dated 7.4.2015.</u>

The Hon'ble Supreme Court has further directed that the vehicles violating the order will be impounded. The list of such vehicles shall be published on the website of Transport Department and the website of CPCB.

All the vehicle owners falling in this category (Petrol vehicles more than 15 years old and Diesel vehicles more than 10 years old) are hereby informed through this Public Notice that they should not ply such vehicles in Delhi/ NCR failing which such vehicles will be impounded.

The list of such vehicles is available on the website of the Transport Department at www.transport.delhigovt.nic. in and also will also be available at the website of CPCB i.e. www.cpcb.nic.in.

Dy. Commissioner (Operations)

परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार 5/9 अन्डर हिल रोड़, दिल्ली—110054

transport.delhigovt.nic.in

डीसी/ऑप्स/396/टीपीटी/4921

दिनांक अक्टूबर 30, 2018

सार्वजनिक सूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के दिनांक 26/11/2014 व दिनांक 07/04/2015 केस 'वर्धमान कौशिक बनाम अन्य' मे दिए गए आदेशानुसार पैट्रोल वाहनों, जिनकी अविध 15 साल से अधिक की है तथा डीजल वाहन जिनकी अविध 10 साल से ज्यादा है, को दिल्ली व एन सी आर की सड़को पर चलने की अनुमित नहीं दी जाएगी और सम्बन्धित अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों को जब्त करने अथवा अन्य उचित कदम उठाएगें।

माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने यह भी आदेश दिए है कि सार्वजनिक क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह मामला 29/10/2018 को (MC Mehta Vs UOI and Ors) संख्या 13029/1985 याचिका (सी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29/10/2018 को यह भी निर्देश दिए की डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक आयु के है व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के 07/04/2015 के निर्देश के सन्दर्भ में, दिल्ली व एन सी आर में नहीं चलाए जाएगें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए है कि जो वाहन इस आदेश का उल्लंघन कर रहे है उन्हें जब्त किया जाए। ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लगाई जाए।

ऐसे सभी वाहन मालिकों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वे इन वाहनों को दिल्ली में अथवा एन सी आर के मार्गों पर कदापि न चलाए अन्यथा इन वाहनों को प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

इन वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.delhigovt.nic.in और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www.cpcb.nic.in पर उपलब्ध कराई जा रही है।

उपायुक्त (संचालन)